खंड: 6, अंक: 02 फरवरी 2023 DELHIN/2021/84711

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

पूर्वोत्तर भारतीय राज्य: परिवर्तनीय चुनावी परिवेश

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रो सुनील कुमार चौधरी

संपादकीय मण्डल

डॉ रमेश भारद्वाज
डॉ संध्या वर्मा
डॉ महेश कौशिक

डॉ अभिषेक नाथ
डॉ आशीष कुमार शुक्ल
राम किशोर

© सीजीएस 2022

रूपांकन: काजल व सृष्टि

संश्लेषण

पूर्वोत्तर भारतीय राज्यः परिवर्तनीय चुनावी परिवेश

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. मतदाता, राजनैतिक दल और चुनावी राजनीतिः एक सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य
   – विकास यादव, दृष्टि साह 1–3
2. पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा की परिवर्तनीय चुनावी राजनीतिः भारतीय जनता पार्टी बनाम टिपरा मोथा पार्टी – डॉ काजल 4–7
3. मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 - राजनीतिक व्यावहारिकता बनाम राजनीतिक अवसरवादिता – रमेश चौधरी 8–11
4. मेघालय चुनावः एक अध्ययन – हदुंगरा नरजरें 12–16
5. नागालैंड में रियो–मोदी जोड़ी व परिवर्तित राजनीतिक परिवेश
   – सुमेर राम 17–23

सम्पादकीय

समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रकाशन की निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता सहित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रित कर उन्हे प्रकाशित करना होता है। व्यवसायिकता और व्यवहारिकता के मानदंडों में इन लेखों को विश्लेषित करना तथा नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में इनको उचित प्रयोग में लाना प्रकाशिय सरोकारों को और अधिक चुनौतिपूर्ण बना देता है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 55वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

वर्ष 2023 को भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक चुनावी वर्ष के रुप में संबोधित किया जा सकता है। लोक सभा 2024 से पूर्व विभिन्न राज्य विधान सभाओं में होने वाले चुनाव एक सशक्त एवं सुदृढ़ लोकतंत्र की दृष्टि से अनेक आयाम प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल, गुजरात एवं पूर्वोतर राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय व नागालैंड विधान सभा चुनाव विविध दृष्टिकोणों से एक परिवर्तनीय परिदृश्य को इंगित करता है।

पूर्वोत्तर भारत के तीन राज्यों से संलग्न, आठ मिलियन से अधिक जनसंख्या वासित, बहुसांस्कृतिकता, बहुजातियता एवं बहुधार्मिकता में विभक्त पूर्वोत्तर राज्य चुनावी लोकतंत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा राज्य में 8 जिलों में 60 विधान सभाओं, मेघालय में 12 जिलों में 59 विधान सभाओं तथा नागालैंड में 17 जिलों में 59 विधान सभाओं में चुनाव आयोजित हुए। फरवरी 2023 का त्रिपुरा विधान सभा चुनाव में भाजपा – इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व टिपरा मोथा, मेघालय म नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट तथा नागालैंड विधान सभा चुनाव में इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट, नैशनल पीपल पार्टी प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भूमिका में रहे।

पक्ष प्रदर्शन, आरोपण एवं दोषारोपण के परिदृश्य में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अदम्य सार्मथ्य और साहस का परिचय देते हुए मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयत्न किया।

राष्ट्रीय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राज्य स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'पूर्वोत्तर भारतीय राज्यः परिवर्तनीय चुनावी परिवेश' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पाँच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ पूर्वोत्तर भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल

मंगलवार, 14 मार्च 2023

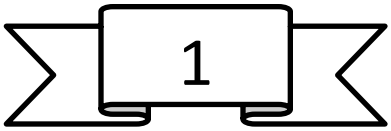

मतदाता, राजनैतिक दल और चुनावी राजनीतिः एक सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

विकास यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दृष्टि साह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्विद्यालय

पिछले कुछ दशकों से चुनावी राजनीति मै एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि चुनाव और मतदान व्यवहार से जुड़ा है, इसी अनुरूप यह देखा जा सकता है कि चुनावी व्यवहार के अध्ययन ने विभिन्न विद्वानों को अपनी और आकर्षित किया है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से चुनाव शास्त्र राजनीति जिसे चुनाव विज्ञान (Psephology) कहा जाता है उसका अत्यधिक महत्व बढ़ गया है। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदताओं के लिए एक शक्ति एवं अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे कि लोगों के बदलते हुए निर्णयों एवं विकल्पों का अध्ययन किया जा सकता है। चुनाव के समय होने वाली विविधताओं और गतिविधियों को समझने के लिए मतदान व्यवहार एव चुनावी राजनीति का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। चुनावी अध्ययन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों, धारणाओं, एवं मतदाताओं की प्राथमिकताओं को समझा जा सकता है। चुनावी राजनीति मै मतदाता एवं उसके मतदान व्यवहार पर चुनाव के समय प्रचलित धारणाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मतदातओं का मतदान व्यवहार एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य मै विपरीत या भिन्न भी होता है जो कि राजनीतिक दलों, नेताओं, एवं किसी भी समकालीन समय मैं परिवर्तित होती परिस्थितियों से प्रभावित होता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था मैं चुनाव की प्रक्रिया शासन का महत्वपूर्ण आधार होती है इसलिए चुनाव निचले स्तर से उच्चतम स्तर की प्रक्रिया के रूप मैं देखा जा सकता है जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली को अत्यधिक सुदृढ़ करता है। संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन और सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था चुनावों से संसाधित होती है। चुनाव एवं समाज के बीच एक गहरा अंतर्संबंध देखा जा सकता है जिसके माध्यम से आधुनिकरण की प्रक्रिया का भी रूपांतरण एव विकास होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मैं चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जो कि से सरकारों, जन प्रतिनिधियों एव मतदातओं के बीच अंतर्संबंधों को एक कड़ी के रूप मैं जोड़ने का काम करता है। शासन के लिए वैधता प्रदान करने

के लिए समय–समय पर चुनाव होना लोकतांत्रिक प्रणाली एवं उसकी निरन्तरता के लिए अतिआवश्यक है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था मै चुनाव सामुहिक रूप से मतदातओं की इच्छाओं को प्रकट करता है की वो किसे अपना मत देंगे या किस नेता या दल को अपनी प्राथमिकता पर रखेंगे। इस प्रकार यह प्रदर्शित होता है कि लोगो का मतदान व्यवहार किस तरह परिवर्तित हो रहा है और वो किस राजनीतिक दल या नेता के प्रति मतदाता अधिक समर्पण या समर्थन रखते है। अतः मतदाता एवं मतदान व्यवहार का अध्ययन करना और मतदाताओं के परिवर्तित रुझानों को लोकतांत्रिक व्यवस्था म समझना महत्वपूर्ण है।

लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति में मतदाता एवं मतदान व्यवहार केंद्रीय पहिये के रूप में काम करते है जो कि राजनैतिक दलों और चुनावी राजनीति के स्वभाव को बदलने मं निर्णायक भूमिक निभाता है, इसलिए मतदान व्यवहार का अर्थ समझना आवश्यक है। मतदान व्यवहार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों की वरीयताओं और अभिव्यक्ति को बताता है की वो चुनावी प्रणाली म मतदान कैसे करते है। इसी अनुरूप यह देखा जा सकता है कि एक मतदाता या एक समूह का मतदान व्यवहार चुनावी परिप्रेक्ष्य को परिवर्तित करने म निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए मतदान व्यवहार एक बहुमुखी प्रक्रिया है जो चुनाव के समय प्रबल होती नजर आती है जिससे चुनावी राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव होते हैं। मतदान व्यवहार के परिपेक्ष्य को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि निर्णय लेने म मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कौन से कारक और विभिन्न मुद्दे है।

मतदान व्यवहार को अनिवार्य रूप से अलग–अलग कारक चुनावी राजनीति मै प्रभावित करते है लेकिन इनमें से कुछ कारक जो कि सबसे अधिक मतदान व्यवहार पर प्रभाव डालने में सफल होते है उनको अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ कारक हैय पहला, पहचान आधारित कारक, ये वो कारक होते है जो लोगों की पहचान यानि उनकी अस्मिता से जुड़े होते है जैसे कि जाति, जातीयता, समुदाय इत्यादि। दूसरा, मुद्दे आधारित कारक, ये कारक मतदताओं के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े होते है जिसमें विभिन्न मुद्दे जैसे कि रोजगार, अच्छी शिक्षा, सड़क, सुरक्षा, शासन, इत्यादि को देखा जा सकता है जो कि लोगो की जिंदगी का केंद्रीय हिस्सा है। तृतीय, राजनैतिक कारक के रूप मै समझा जा सकता है जिसमें कैसे राजनैतिक दल अपना वर्चस्व बनाने के लिए विभिन्न वादे एवं नीतियों को लेकर आते है जिससे कि मतदाता को अपनी और प्रभावित किया जा सके। चौथा कारक दलों की विचारधारा एवं उनके उम्मीदवारों को लेकर है, अधिकतर मतदाता अपने आपको उस दल से जोड़ते है जो उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और वह उस उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि के रूप म स्वीकृति देते है जिसका व्यक्तित्व एवं कार्यप्रणाली बेहतर लगे। अगर कोई राजनीतिक दल या नेता जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने योग्य नहीं लगता है तब मतदाताओं की प्राथमिकता मै परिर्वतन देखा जा सकता है जो कि लोकतांत्रिक

चुनावी राजनीति के लिए सकारात्मक माना जाता है। पांचवा एवं अंतिम कारक के रूप मै लोकलुभावनवाद एवं शासन के परिप्रेक्ष्य को समझना आवश्यक है कि ये दोनों कारक के रूप मै मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करते है। कुछ राजनैतिक दल लोकलुभावन नीतियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते है, परंतु समकालीन समय म यह भी जानना आवश्यक है कि मतदाता अब अधिक जागरूक और सक्रिय है वह अब अच्छे शासन पर बल देते हुए लोककल्याणकारी कार्य करने वाले दलों या नेताओं को अपनी प्राथमिकता म रखते है।

अतः यह कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों के पास चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से राजनैतिक दलों एवं शासकों को बदलने का अधिकार होता है। मतदाता, चुनाव एवं चुनावी राजनीति म एक अंतर्संबंध को देखा जा सकता है जिसमे राजनैतिक दलों की भी प्रमुख भूमिका रहती है। नए बदलाव और सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा से ही मतदाताओं का राष्ट्र निर्माण हेतु एक समर्पण पाया गया है जिससे न केवल राष्ट्र राजनैतिक रूप से बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि समकालीन समय म मतदाताओं के मतदान व्यवहार मे नय परिवर्तन देखे जा रहे है जो कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत, जीवंत एवं गतिशील करने के लिए आवश्यक है।

♦♦♦♦♦

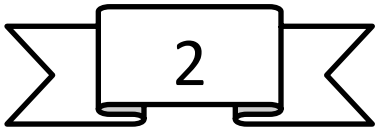

पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा की परिवर्तनीय चुनावी राजनीतिः भारतीय जनता पार्टी बनाम टिपरा मोथा पार्टी

डॉ काजल

राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत का पूर्वोत्तर भाग जातीय, भाषाई और धर्मिक विविधता का केंद्र है, जहां हिंदू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व उदय एवं विकास एक प्रमुख परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के तीन राज्य– मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाई। मेघालय में भाजपा, नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) गठबंधन ने पुनः मेघालय पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। जबकि नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और भाजपा का गठबंधन विपक्ष रहित सरकार बनाने में सफल रहा। अंततः त्रिपुरा में इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ भाजपा ने गठबंधन बनाया। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती उपस्थिति रुचिकर है, मुख्यतः, 2018 से पूर्व, भाजपा इस क्षेत्र में इतना महत्व नहीं रखती थी। पिछले कुछ वर्षों में, मिजोरम और सिक्किम के अतिरिक्त, भाजपा या तो अपने दम पर सत्ता में रही उदाहरणतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा या क्षेत्रीय दलों के सहयोग से जैसे मेघालय और नागालैंड में सत्ता स्थापित की। 2023 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा एक मुख्य दल था। जिसने त्रिपुरा में स्वयं से और नागालैंड में गठबंधन सहयोगी की सहायता से बहुमत प्राप्त किया। वहीं मेघालय में कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया। केवल भाजपा गठबंधन बहुमत के निकट है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मेघालय और नागालैंड दोनों ही ईसाई बहुल राज्य हैं जहां अनुमानतः 90 प्रतिशत ईसाई जनसंख्या है। इसके बाद भी, हिंदू राष्ट्रवादी दल अपनी स्थिति बनाये रखने में सक्षम रहा है। त्रिपुरा में क्रमशः एनपीईपी साथ भाजपा के गठबंधन के बाद भी मत शेयर में हानि हुई, जिसका विश्लेषण इस लेख का एक महत्वपूर्ण भाग है।

पूर्वोत्तर भारत में भाजपा का सांख्यिकीय प्रदर्शन

2013 के विधानसभा चुनाव में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा को दो प्रतिशत से भी कम मत मिले थे। यद्यपि, 2018 में, दल का मत शेयर मेघालय में 10 प्रतिशत, नागालैंड में 15 प्रतिशत और त्रिपुरा में 44 प्रतिशत तक बढ़ गया। पाँच वर्ष पश्चात, इन राज्यों में 2023 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने मेघालय में अपना मत शेयर बनाये रखा, नागालैंड में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और त्रिपुरा में चार प्रतिशत कम हुआ, किंतु त्रिपुरा में बहुमत से स्वयं की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। त्रिपुरा में, उल्लेखनीय बात यह है कि 19 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने वाम–कांग्रेस गठबंधन की तुलना में भाजपा गठबंधन का समर्थन किया। पुरुषों के मध्य यह अंतर मात्रा सात प्रतिशत था। नागालैंड में, एनडीपीपी–भाजपा गठबंधन को महिलाओं का समर्थन 47 प्रतिशत था, जो इसके मुख्य प्रतिद्वंदी नागा पीपल्स फ्रंट से 33 प्रतिशत अधिक था।

मणिपुर में ईसाई जनसंख्या 41 प्रतिशत है और अरुणाचल प्रदेश में ईसाई जनसंख्या 30.26 प्रतिशत है। देश का यह क्षेत्र अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत के साथ 400 से अधिक जातीय समुदायों का घर है। अरुणाचल प्रदेश में 2019 के पिछले 60 सदस्यीय विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 41 सीट प्राप्त की थी। जबकि लंबे समय से जीत प्राप्त करती आ रही कांग्रेस को केवल 4 सीट की मिली थी। मत प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस को 16.85 प्रतिशत और भाजपा को 50.86 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे।

त्रिपुरा विधान सभा चुनाव 2023

त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में भाजपा को 32 सीट के अल्प बहुमत के साथ पुनः चुना गया। जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय गठबंधन सहयोगी इंडीजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 6 में से केवल 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई। 2018 में, भाजपा ने चुनावी मानचित्र से कांग्रेस को हटात हुए त्रिपुरा में सीपीएम के 20 वर्ष के शासन को समाप्त किया था। इस वर्ष, नवीनता पूर्व रजोचित प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा के नेतृत्व वाली टिपरा मोथा पार्टी के प्रदर्शन से आई है। टिपरा मोथा पार्टी ने अपनी प्रथम चुनावी प्रतियोगिता में 13 सीट जीती हैं, जो इस कांग्रेस–सीपीएम गठबंधन के स्तर पर लाती है। भाजपा को अनुमानतः 4 प्रतिशत मत शेयर की हानि हुई है, जो 2023 में 39 प्रतिशत है, जबकि कांग्रेस–सीपीएम गठबंधन का साझा मत शेयर 33 प्रतिशत है। वहीं नवीन दल टिपरा मोथा पार्टी को 20 प्रतिशत मत शेयर प्राप्त हुआ।

कांग्रेस के अतिरिक्त, जिसने 2018 में कुछ ना कर दिखाने के पश्चात 2023 में 3 सीट प्राप्त की, सभी अन्य स्थापित दलों को कुछ सीटों की हानि हुई। 1972 के बाद से, सीपीएम ने 11 सीटों के साथ सबसे बुरा प्रदर्शन किया। तार्किक रूप से, भाजपा अपने सभी प्रतिस्पर्धियों से आगे है। किंतु 2018 के अपने आँकड़ों से पीछे। परिणामों का आँकलन कुछ समूहों की ओर इंगित करता है, जिस्म सीपीएम ने अनिवार्य रूप से 2018 में जीती गई सीटों को बनाये रखा, किंतु आगे बढ़ कर अपनी पुरानी छवि को प्राप्त नहीं कर पाई। वहीं टिपरा मोथा पार्टी ने अनिवार्य रूप से वें सीट जीती हैं जो भाकपा सहयोगी के पास थी। भाजपा का उपस्थित गठबंधन उन समूहों की पहचान को प्रयोग में लता है जिनका वामपंथियों ने पिछले दो दशकों से विरोध किया था और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा था।

भाजपा को 35 सीटो पर मत शेयर की हानि हुई है। चारिलम और करमछरा मेंनिवर्तमान भाजपा विधायक जिष्णु देव वर्मा को 54 प्रतिशत मत और ब्रज लाल त्रिपुरा को 2018 में प्राप्त मत में से 30 प्रतिशत मत की हानि हुई। अगरतला में, भाजपा को पाँच वर्ष पूर्व मिले मतों में से 16 प्रतिशत की हानि हुई। कुल मिलाकर भाजपा को 15 सीटों पर 10 प्रतिशत से अधिक मत शेयर की हानि हुई, जिससे पता चलता है कि 2023 विधान सभा चुनाव में कुछ सत्ता विरोधी लहर अवश्य थी। हालाँकि भाजपा ने 25 सीटों पर अपना मत शेयर बढ़ाया है, जो यह भी दर्शाता है कि सत्ता विरोधी लहर पूरे क्षेत्र पर समान रूप से नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि भाजपा को अधिकतम उन क्षेत्रों में हानि हुई जहां आदिवासी पहचान की राजनीति अधिक प्रमुख है और जहां टिपरा मोथा पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया।

नवीन दल के रूप में टिपरा मोथा पार्टी

टिपरा मोथा पार्टी, जिसे टिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और पहले भारत के त्रिपुरा में एक सामाजिक संगठन था। वर्तमान में यह त्रिपुरा विधानसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। क्षत्रिय बल के रूप में यदि इन चुनावों में आईपीएफटी का त्रिपुरा में पतन हुआ तो उसके स्थान स्थान पर टिपरा मोथा पार्टी उभरी, किंतु भाजपा और सीपीएम दोनों की विरोधी बन कर। टिपरा मोथा पार्टी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा किंतु उनमें से केवल आधी सीटों पर ही वह अच्छा प्रदर्शन कर पाई। 13 जीत प्राप्त सीटों में से 8 सीटों पर वह 50 प्रतिशत से भी अधिक मत शेयर को प्राप्त कर पाई। तकरजलाई में बिस्वजीत कलाई ने 86.7 प्रतिशत मत के साथ जीत प्राप्त की। इससे पता चलता है कि यह नया गठन एक नए राज्य–व्यापी अभिनेता के स्थान पर एक महत्वपूर्ण स्थानीय शक्ति है।

कुल मिलाकर, भाजपा द्वारा पूर्वोत्तर भारत में निःसंदेह अपने चुनावी विकास को दर्शाया है, किंतु त्रिपुरा में अल्पमत से जीत कुछ त्रुटियों की और इंगित करता है। इसी के साथ एक नये दल के रूप में टिपरा मोथा पार्टी का 13 सीटों पर जीत प्राप्त करना, भूमिगत स्तर पर उसकी पकड़ और लोकप्रियता को दर्शाता है, जो आने वाले चुनावों में सभी राष्ट्रीय दलों के लिए एक चुनौती है, विशेषकर सत्ताधारी भाजपा के लिए।

♦♦♦♦♦

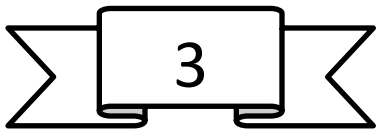

मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 - राजनीतिक व्यावहारिकता बनाम राजनीतिक अवसरवादिता

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन (MDA) नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के नेतृत्व में मेघालय विधानसभा में एक राज्य स्तरीय गठबंधन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) मुख्य सहयोगी दल है, इनके अतिरिक्त वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP), पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (PDF), हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) और कुछ निर्दलीय विधायक भी इस गठबंधन में शामिल है। चुनाव के बाद हुए इस गठबंधन ने 2018 मेघालय राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया लेकिन 2023 मेघालय विधानसभा चुनावों में एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि एनपीपी और अन्य गठबंधन सहयोगियों ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2023 के चुनावों से पूर्व गठबंधन के विघटन का मुख्य कारण भाजपा और यूडीपी का मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा की सरकार पर भ्रष्टाचार व परिवारवाद का आरोप और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखा करना रहा। अंततः 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने अकेले लड़ा, जिसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टो, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भूमिका में रहे।

2023 में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों का जनादेश खंडित अथवा त्रिशंकु विधानसभा रहा अर्थात् किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। इस चुनाव में मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा द्वारा नेतृत्व नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी और मेतबाह लिंगदोह द्वारा नेतृत्व यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी

(UDP) राज्य में 11 सीट के साथ दूसरी सबसे बड़े दल के रूप में राजनीतिक सफलता प्राप्त की। एनपीपी और यूडीपी के अतिरिक्त किसी भी राजनीतिक दल को दोहरी संख्या में सीट प्राप्त नहीं हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5-5 सीट हासिल हुई। इसी क्रम में वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (VPP) को 4 सीट और भारतीय जनता पार्टी (BJP), हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP), पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (PDF) और निर्दलीय को 2-2 सीट प्राप्त हुई।

यह चुनावी परिणाम व खंडित जनादेश ने निश्चित रूप से एक स्थिर सरकार निर्माण के लिए गठबंधन की आवश्यकता की संभावनाओं को जन्म दिया और राजनीतिक परंपरा के अनुरूप सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने गठबंधन निर्माण और नेतृत्व की केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें यूडीपी, बीजेपी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वीपीपी, पीडीएफ और निर्दलीय विधायकों ने कोर्नाड संगमा को राज्य विधानसभा में गठबंधन के नेता के रूप में चुना। इसी क्रम में मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 (MDA 2-0) के नेता के रूप मं मेघालय सरकार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गठबंधन के सभी सहयोगी दल सरकार में शामिल भी हुए। मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 की सरकार के निर्माण ने राज्य की चुनावी राजनीति में राजनीतिक व्यावहारिकता और राजनीतिक अवसरवाद की बहस को जन्म दिया।

मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 (MDA) की सरकार निर्माण की राजनीतिक व्यावहारिकता का सबसे प्रमुख आधार व तर्क, 2023 विधानसभा चुनावों में प्राप्त खंडित जनादेश के बावजूद राज्य को लोकतांत्रिक स्थिरता और एक स्थिर सरकार प्रदान करना रहा। इस एनपीपी नीत गठबंधन की सरकार निर्माण की व्यावहारिकता के अन्य पक्ष भी है जो इस गठबंधन की लोकतांत्रिक सार्थकता को स्पष्ट करते है, जैसे चुनाव नतीजों के बाद विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के नेतृत्व में सरकार का निर्माण और चुनाव नतीजों के बाद बहुमत जुटाने के लिए दल बदल या विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी अलोकतांत्रिक गतिविधियों का अभाव। मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 की सरकार का निर्माण चुनाव नतीजों के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्य में स्थिर सरकार के गठन हेतु सबसे आवश्यक व प्राथमिक राजनीतिक पहल है।

परंतु मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 की सरकार निर्माण ने मेघालय के राजनीतिक दलों के राजनीतिक अवसरवाद के भी कुछ पहलुओं को स्पष्ट किया है, जैसे की चुनावों से पूर्व 2018 में बनी गठबंधन सरकार के सभी सहयोगी दलों का अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लेना जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी प्रमुख थी। इन दलों का गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का कारण राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, परिवारवाद और मूलभूत विकास का अभाव जैसे मुद्दों को दिया गया था, जिसका आरोप इन सभी दलों ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एनपीपी की सरकार और मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा पर लगाया था और उनके शासन कार्यकाल और नेतृत्व पर प्रश्न खड़े किए थे अर्थात् इन सभी दलों ने एनपीपी के खिलाफ चुनाव अभियान चलाया था परंतु प्रत्याशित सफलता न मिलने पर इन सभी दलों ने चुनावों के पूर्व लगाए गए आरोपों को दरकिनार कर एनपीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार में शामिल हुए। इन सभी दलों का यह कदम इनकी राजनीतिक अवसरवादिता को स्पष्ट करता है अर्थात् यूडीपी, वीपीपी और पीडीएफ जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल सर्वदा सत्ता में रहना चाहते है सामान्य रूप से स्पष्ट किया जाए तो इन दलों का सत्ता से बाहर रहना या विपक्ष में रहने से इन दलों की प्रासंगिकता और अस्तित्व की समाप्ति का खतरा है, इसलिए एनपीपी विरोधी चुनावी अभियान के बावजूद भी गठबंधन में शामिल होना इनकी राजनीतिक अवसरवादिता को स्पष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) का भी मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 की सरकार में शामिल होना परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से समझौता करना भाजपा के लिए एक राजनीतिक अवसरवादिता का प्रकरण है परंतु भारतीय जनता पार्टी का इस गठबंधन में शामिल होना भाजपा के एक बड़े स्पेक्ट्रम का भाग है, जिसमें उत्तर–पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन (North&East democratic alliance) का विस्तार व स्थिति राजनीतिक रूप से मजबूत करना और पूर्वोत्तर भारत में 2024 के लोक सभा चुनावों के लिए अपनी पकड़ सुदृढ़ करना प्राथमिक है।

मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन 2-0 (MDA 2-0) की राजनीतिक व्यावहारिकता और राजनीतिक अवसरवाद की बहस मौलिक रूप से दोनों की पक्षों के तर्कों सार्थक स्वरूप देती है, क्योंकि यह सत्य है कि इस गठबंधन में शामिल होने वाले सभी दलों ने एनपीपी के खिलाफ चुनाव अभियान चलाया और चुनाव के बाद अपने हित व लाभ क लिए गठबंधन में शामिल हुए। परंतु 2023 के चुनावों के बाद खंडित जनादेश व त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सबसे बड़े दल एनपीपी के नेतृत्व में सरकार बनना लोकतांत्रिक रूप से सबसे व्यवहारिक विकल्प था और राज्य में एक स्थिर

सरकार प्रदान करने के लिए यूडीपी, पीडीएफ, एचएसडीपीपी, वीपीपी और निर्दलियों का कोर्नाड संगमा को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देना अवश्य भी था।

♦♦♦♦♦

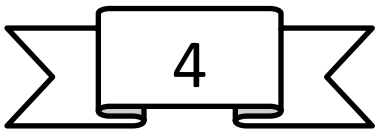

मेघालय चुनावः एक अध्ययन

हदुंगरा नरजरें

विधार्थी, राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय

यद्यपि हममें से विभिन्न लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध राष्ट्रपति पद की वाद–विवादों से परिचित हैं, किन्तु कम ही लोग ऐसी प्रथा के बारे में जानते होंगे जो दशकों से एक विशिष्ट भारतीय राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में गहराई से व्याप्त है। इसलिए, वाद–विवाद के लिए सामान्य मंच के नाम के रूप में, मेघालय राज्य में समान प्रथा (राष्ट्रपति वाद–विवाद के समान) उपस्थित है।

पूर्वोत्तर भारत के मनमोहक परिदृश्यों में बसा, मेघालय एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। मेघालय नाम का संस्कृत में अर्थ है श्बादलों का निवासश। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय विश्व में सबसे अधिक वर्षा का दावा करता है, जिसके परिणामस्वरूप यहां हरी–भरी हरियाली, झरने और मनमोहक जीवित जड़ पुल हैं। (मुखर्जी, 2022) मेघालय के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसका मातृसत्तात्मक समाज है। यहां, वंश और विरासत का पता मां की वंशावली के माध्यम से लगाया जाता है, जिसमें महिलाएं परिवार और सामुदायिक मामलों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। यह अनूठी सामाजिक संरचना मेघालय को अन्य क्षेत्रों से प्रथक करती है और भारत की विविध सांस्कृतिक छवि की एक रुचिकर झलक प्रस्तुत करती है।

मेघालय विभिन्न देशी जनजातियों का भी घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट परंपराएँ, भाषाएँ और त्यौहार हैं। खासी, गारो और जैंतिया जनजातियाँ बहुसंख्यक हैं, और उनकी समृद्ध विरासत को जीवंत नृत्य रूपों, जटिल हस्तशिल्प और बांस की बांसुरी जैसे पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

कई दशकों से, मेघालय आम बहस मंच का एक उदाहरण रहा है, जहां राजनीतिक उम्मीदवार, विशेष रूप से विधान सभा के सदस्य (विधायक) एक साझा मंच पर उत्साही बहस में भाग लेते हैं। यह प्रथा पारदर्शी और जवाबदेह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए मेघालय की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। साझा बहस मंच को अपनाकर, मेघालय ने एक ऐसा मंच बनाया है जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार राज्य के लिए अपने विचारों, विचारधाराओं और योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ आते हैं। ये बहसें विधायकों के लिए सुदृढ़ चचाओं में सम्मिलित होने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करने और उनके प्रस्तावित समाधानों की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करती हैं।

मेघालय में आम बहस मंच मतदाताओं को एक ही सेटिंग में उम्मीदवारों की बौद्धिक कौशल, संचार कौशल और नेतृत्व गुणों को देखने में सक्षम बनाता है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने की खोज में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बहस के समान, चुनाव अभियानों में एक आम बहस मंच को अपनाने से विभिन्न लाभ मिलते हैं। यह अनूठी प्रथा विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को एक साझा मंच पर एक साथ लाती है, जिससे उन्हें वाद–विवाद में सम्मिलित होने में सक्षम बनाया जाता है जो मतदाताओं को सशक्त बनाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है।

• सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देनारू एक सामान्य बहस मंच मतदाताओं को विभिन्न दलों के उम्मीदवारों को अपनी नीतियों, योजनाओं और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हुए देखने की अनुमति देता है। वास्तविक समय में इन परिप्रेक्ष्यों की तुलना और अंतर करने से, मतदाताओं को मूल्यवान अंतदृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वे चुनावों के दौरान सूचित विकल्प चुनने में सक्षम होते हैं।

• जवाबदेही को प्रोत्साहित करनाः जब उम्मीदवार एक आम बहस मंच में भाग लेते हैं, तो वे अपने पदों का बचाव करने, चिंताओं को संबोधित करने और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए मजबूर होते हैं। यह जवाबदेही को बढ़ावा देता है, क्योंकि उम्मीदवारों को सार्वजनिक मंच पर उनके वक्तव्यों और कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

• रचनात्मक संवाद को बढ़ावाः एक सामान्य मंच पर बहस उम्मीदवारों के मध्य स्वस्थ और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देती है। विचारों और दृष्टिकोणों के खुले आदान–प्रदान के माध्यम से, उम्मीदवार एक–दूसरे के दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जिससे मुद्दों की गहरी समझ उत्पन्न होती है और नवीन समाधानों की खोज में आसानी होती है।

• पारदर्शिता बढ़ानाः आम बहस मंच मतदाताओं को उम्मीदवारों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का आकलन करने की अनुमति देता है। उम्मीदवारों को सीधी बहस में शामिल होते देखकर, मतदाता उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और महत्वपूर्ण मुद्दों को संभालने की क्षमता का उत्तम आकलन कर सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

• मतदाताओं को सशक्त बनानाः एक आम बहस मंच मतदाताओं को उम्मीदवारों की बौद्धिक कठोरता, संचार कौशल और नेतृत्व गुणों को देखने के लिए अग्रिम पंक्ति की सीट प्रदान करके सशक्त बनाता है। यह प्रत्यक्ष प्रदर्शन मतदाताओं को योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे प्रत्येक उम्मीदवार की क्षमताओं की व्यापक समझ के आधार पर अपना वोट डाल सकते हैं।

• लोकतंत्र को सुदृढ़ बनानाः एक आम बहस मंच लोकतांत्रिक सिद्धांतों के एक सुदृढ़ स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो भाषण, अभिव्यक्ति और खुले संवाद की स्वतंत्रता के मूल्यों को सुदृढ़ करता है। इस प्रथा को अपनाने से, चुनाव अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण हो जाते हैं, जिससे देश का लोकतांत्रिक ताना–बाना सुदृढ़ होता है।

• प्ररणादायक नागरिक जुड़ावः एक सामान्य मंच पर बहसें मतदाताओं को उत्साहित करती हैं, नागरिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्ररित करती हैं। गतिशील चर्चाओं को देखकर, मतदाता राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने, अपनी राय व्यक्त करने और एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्ररित होते हैं।

• सार्वजनिक धन के उपयोग को कम करता हैः उपरोक्त लाभों के अलावा, चुनाव अभियानों में एक आम बहस मंच भी सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में कमी लाने में योगदान देता है। विभिन्न दलों के उम्मीदवारों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने से, कई व्यक्तिगत रैलियों और अभियान कार्यक्रमों की आवश्यकता कम हो जाती है।

सामान्य वाद–विवाद मंच के प्रति मेघालय की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए राज्य के समर्पण को दर्शाती है। इस प्रथा के माध्यम से, मेघालय अपने विधायकों और मतदाताओं के मध्य पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा दता है। बहस के लिए एक साझा स्थान प्रदान करके, मेघालय में आम बहस मंच एक जीवंत और भागीदारी वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए राज्य की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। मतदाताओं को सशक्त बनाने और रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करके, एक साझा बहस मंच राजनीतिक परिदृश्य को समृद्ध करता है और एक अधिक जीवंत और समावेशी लोकतांत्रिक समाज

में योगदान देता है। और शेष भारतीय राज्य को सूचित लोकतंत्र को बढ़ावा देने, नागरिक सहभागिता को प्रेरित करने, पारदर्शिता बढ़ाने आदि के लिए चुनाव अभियान के दौरान आम मंच पर बहस की प्रथा का पालन करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची:

https://thediplomat.com/2022/12/the-khasis-a-matrilineal-society-in-indias-northeast/

https://www.youtube.com/watch?v=8pApU8Q3KqI

♦♦♦♦♦

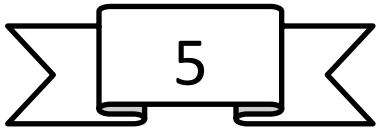

नागालैंड में रियो–मोदी जोड़ी व परिवर्तित राजनीतिक परिवेश

सुमेर राम

विद्यार्थी, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

सामाजिक व ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट नागालैंड राज्य के 14वीं विधानसभा के चुनाव विभिन्न अर्थों में राजनीतिक विश्लेषकोंध विद्यार्थियों के लिए रुचिकर रहे हैं। इस बार के चुनाव में कई ऐसे रोचक पहलू सामने आए हैं जो नागालैण्ड राज्य के परिवर्तनशील चुनावी परिवेश को दर्शाते है जैसेय प्रथम, विधानसभा गठन के पश्चात प्रथमतया किसी महिला उम्मीदवार का निर्वाचित होना, वो भी एक साथ दो महिला उम्मीदवारों का निर्वाचित होना और उनमें से एक का मंत्री पद पर आसीन होना सम्मिलित है। दूसरा, 1977 के पश्चात प्रथमतया नव निर्वाचित विधानसभा में पचास प्रतिशत से अधिक विधायकों का प्रथमतया निर्वाचित होना। तीसरा, विधानसभा में किसी भी प्रकार का विपक्ष का नहीं होना जैसे नई संस्कृति की शुरुआत का होना।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पहलू भी हैं जो नागालैंड राज्य में परिवर्तित हुए राजनीतिक परिवेश के उदाहरण हैं। उन सभी का इस लेख में विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जैसे एनडीपीपी के अतिरिक्त बीजेपी, एनसीपी जैसे तथाकथित बाहरी दलों का चुनाव में सराहनीय प्रदर्शन करना और कांग्रेस एवं एनपीएफ जैसे स्थापित दलों का निराशाजनक प्रदर्शन करना, चुनाव में मतदाता से लेकर उम्मीदवार के रूप में महिलाओं की भूमिका एवं आम मतदाताओं में व्यक्तिगत रूप से एक सत्ता विरोधी लहर का होना जिसके परिणामस्वरूप नवनिर्वाचित विधानसभा में कुल विधायकों में आधे से अधिक विधायक (52:) पहली बार चुनकर आए हुए हैं जो दर्शाता कि आम जनमानस में एक परिवर्तन की लहर थी जो भले ही सरकार बदलने में रुचिकर नही रही होगी किन्तु विधानसभा के स्वरूप को अवश्य ही परिवर्तित कर दिया इत्यादि पहलू।

चुनाव परिणाम

पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में हाल ही में संपन्न हुए 14वीं विधान सभा के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी (एनडीपीपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गठबंधन ने भारी बहुमत से

विजय प्राप्त की। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में इस गठबंधन ने कुल 60 में से 37 सीटों पर विजय

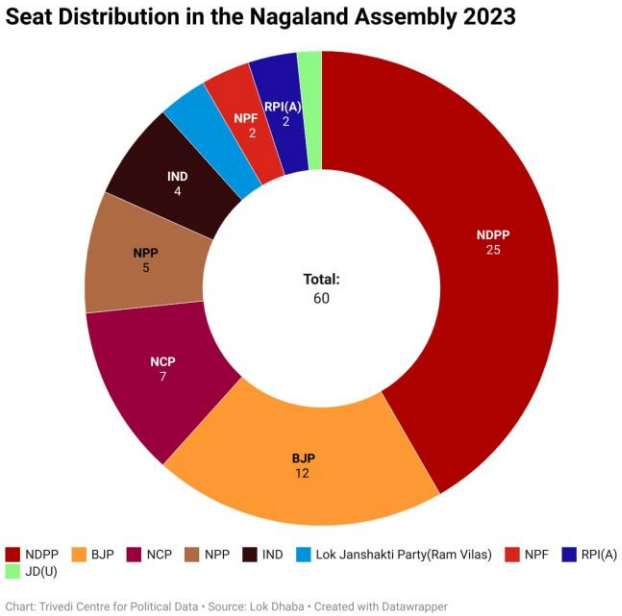

प्राप्त की। और इस प्रकार नेफ्यू रियो रिकॉर्डतोड पाँचवीं बार मुख्यमंत्री बने। जबकि सात अन्य पार्टियों और चार निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष 23 सीटों को साझा किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सात सीटों के साथ) सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी, उसके पश्चात नागा पीपुल्स फ्रंट (पांच सीटें) रही। और 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।

महिलाओं की ऐतिहासिक सामाजिक – राजनीतिक स्थिति और परिवर्तित भूमिका

आश्चर्यजनक रूप से नागालैंड विधानसभा में महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में 60 वर्ष लग गए। 1964 से 2018 के मध्य हुए 14 विधानसभा चुनावों में एक भी महिला विधायक नहीं चुनी गई। 2023 के चुनाव में नागालैंड को अपनी पहली दो महिला विधायक मिलीं । राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी (एनडीपीपी) के हेकानी जाखलू ने दीमापुर–तृतीय और सलहौतुओनुओ क्रूस ने पश्चिमी अंगामी से जीतकर इस संदिग्ध रिकॉर्ड को तोड़ा। इसके अतिरिक्त सलहौतुओनुओ क्रूस ने 7 मार्च को हुए मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नागालैंड राज्य की पहली महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त किया।

ज्ञात रहे कि नागालैंड की महिलाएं सामाजिक रूप से तो सशक्त हैं किन्तु राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व अत्यधिक कम है। नागालैंड की 6ः से कम महिलाओं की विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। जबकि भारत का औसत 23ः से अधिक है। नागालैंड में 99ः से अधिक विवाहित महिलाएं प्रमुख घरेलू निर्णयों में भाग लेती है और केवल लगभग 6ः ने ही वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया जो कि भारत के आंकड़े से लगभग पांच गुना कम। इसके अतिरिक्त नागालैंड में

महिलाएं अधिकांश दुकानों, उद्यमों के साथ ट्रैफिक को संचालित करती हुई नजर आएंगी जो कि भारत के अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। इस तरह नागालैंड में महिलाएं आर्थिकदृ सामाजिक रूप से तो सशक्त प्रतीत होती हैं।

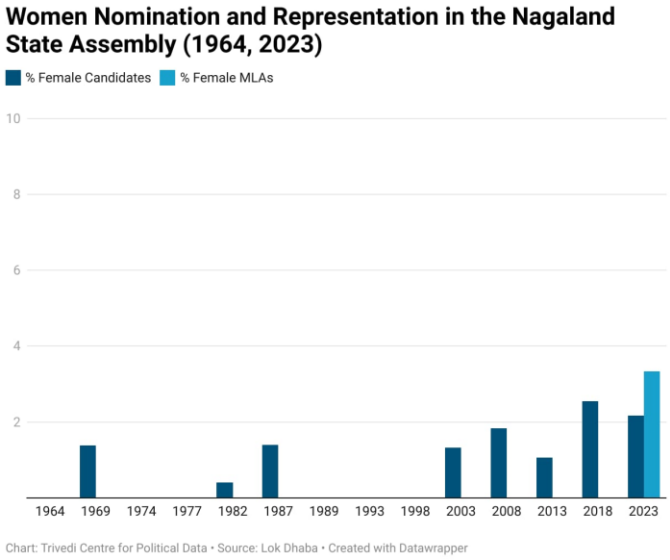

इसके विपरीत, यदि हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यह अत्यधिक दयनीय है। अभी तक महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व शून्य मात्र इसलिए नहीं था कि वे चुनाव नहीं जीतीं, अपितु अभी तक हुए 14 विधानसभा चुनावों में कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या ही नगण्य थी। अभी तक हुए चुनावों में किसी में भी महिला उम्मीदवारों की संख्या छह को पार नहीं कर पाई है। प्रायः, पांच चुनावों में तो महिला उम्मीदवारों की संख्या शून्य रही। और दो चुनावों में तो यह मात्र एक रही। वही 2023 के चुनाव में भी 183 उम्मीदवारों में से केवल चार महिलाएं थीं। यह आंकड़े नागा महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में अवरोधों को इंगित करने के लिए पर्याप्त है। आंकड़े दर्शाते है कि किस प्रकार महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त अवसर नहीं मिले। दरअसल, वर्ष 2017 में नागालैंड सरकार ने महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान का नगरपालिका अधिनियम, 2001 को लागू करने का प्रयास किया। जिसके विरुद्ध राज्य में आदिवासी संगठनों ने जमकर हिंसा और आगजनी शुरु कर दी। परिणामस्वरूप, सरकार को चुनाव स्थगित करना पड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को इस्तीफा भी देना पड़ा। आदिवासी संगठनों का मानना है कि यह अधिनियम अनुच्छेद 371 (ए) 'जिसमे कि नागा प्रथागत कानूनों और प्रक्रियाओं की रक्षा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है' का उल्लंघन करता है। चूंकि प्रथागत कानूनों के अनुसार महिलाएं निर्णय लेने के स्थानों में नहीं हो सकती हैं। उनकी कार्यक्षेत्र सीमित है। इसका मुख्य कारण औपनिवेशिक काल से ही नागा महिलाओं की सुरक्षा का है। जिस वजह से महिलाओं को बाहरी कार्यों से दूर रखा जाता है।

हालांकि नागालैण्ड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने महिलाओं की राजनीतिक एवम् बाहरी भागीदारी को प्रोत्साहन देने का वादा किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनजाति समूहों को चुनौती देते हुए रियो सरकार किस प्रकार महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ा पाती है और इसमें उन नव निर्वाचित महिला विधायकों का योगदान किस प्रकार रहता है?

विधानसभा का परिवर्तित स्वरूप और विपक्ष विहीन विधानसभा की नई संस्कृति

2023 में निर्वाचित विधानसभा का स्वरूप पूर्ववर्ती विधानसभाओं से अत्यधिक भिन्न है। नूतन सभा में न केवल पहली बार महिला विधायक सलहौतुओनुओ क्रूस और हेकानी जाखलू अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी परंतु, अधिकांश विधानसभा ही नई प्रतीत होगी। चूंकि इस बार कुल 60 में से 31 विधायक प्रथमतया चुनकर आए हुए है। ऐसा 1977 के पश्चात प्रथमतया हो रहा है जब कुल सदस्य संख्या के 50ः से अधिक विधायक प्रथमतया निर्वाचित हुए हो। इस बार के चुनाव में आम मतदाताओं में दल की बजाय नेताओं के प्रति व्यक्तिगत तौर पर भारी विरोध था। चूंकि विभिन्न दल 2018 में विजयी हुई सीटों में से केवल 18 सीटों को बरकरार रख पाए। वर्तमान विधानसभा में सबसे बड़ा दल एनडीपीपी भी 2018 में विजय प्राप्त की गई 18 सीटों में से केवल नौ सीटों को ही बरकरार रख पाया। वहीं बीजेपी 12 में से 5, एनपीएफ 26 में से केवल एक और एनपीपी अपनी 2 सीटें बरकरार रख पाए। और उनको अधिकांश समर्थन नए क्षेत्रों से मिला। एनडीपीपी ने 16 व बीजेपी ने 6 नई सीटें हासिल की वही राकांपा की 7 व निर्दलीय की 4 सीटें भी नई थी। इस प्रकार परिणाम बताते है कि इस बार के चुनाव में काफी व्यक्तिगत सत्ता विरोधी लहर थी भले ही एनडीपीपी बीजेपी का गठबंधन इस चुनाव में मजबूत होकर उभरा हो और एक सुदृढ़ सरकार बना पाने में सफल हो पाए किन्तु यह अधिकांश नए चेहरों के साथ चुनाव में उतरने से ही संभव हुआ। और इस प्रकार विधानसभा का भी स्वरूप परिवर्तित हो गया। पिछले दो चुनावों से नागालैण्ड में एक विपक्षविहीन विधान सभा का चलन शुरू हुआ। चूंकि बहुमत प्राप्त गठबंधन दलों के अतिरिक्त अन्य दल भी विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय सरकार का हिस्सा बनकर उसका सहयोग करना बेहतर समझते है। पिछले चुनाव (2018) में एनपीएफ सबसे बड़े बदल के रूप में उभर कर आया किन्तु फिर भी सरकार बीजेपी एनडीपीपी के गठबंधन से बनी जिसका कि जुलाई 2021 एनपीएफ ने भी ने सहयोग किया। एनपीएफ ने इसे नागा राजनीतिक मुद्दे' का समाधान करने में सहायता के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा प्रस्तुत करने की आवश्यकता से प्रेरित कदम बताया। और इस प्रकार विधानसभा में कोई विपक्ष की भूमिका में नहीं बचा।

2023 के चुनाव में बीजेपी एनडीपीपी के गठबंधन ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और सरकार बनाने के लिए अन्य एक भी विधायक के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी परंतु फिर चुनाव परिणाम

घोषणा के तुरंत बाद 4 निर्दलीय विधायकों ने यूडीए गठबंधन को समर्थन की घोषणा की। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), जो सात विधायकों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी (एनडीपीपी और भाजपा के पश्चात) के रूप में उभरी थी, ने भी यूडीए के समर्थन की घोषणा कर दी। बीजेपी एनसीपी वैचारिक विभिन्नता के कारण एनसीपी ने आधिकारिक रूप से हवाला दिया कि यह समर्थन एनडीपीपी को है न कि बीजेपी को। वहीं एनपीपी जो कि बीजेपी के नेतृत्व में गठित 'उतर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधनश की सदस्य है ने भी समर्थन की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त, एनपीएफ, लोजपा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जेडीयू जैसे अन्य दल भी सतारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए। एनपीएफ के अनुसार उनका सरकार में ससम्मिलित होना नागा राजनीतिक मुद्देश को हल करने में सहायता लिए एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा प्रस्तुत करने की आवश्यकता से प्रेरित प्रयास था।

इसके अतिरिक्त, अन्य दल के विधायकों का सरकार के साथ आने का कारण चूंकि नागालैण्ड एक दुर्लभ संसाधनों वाला राज्य है और यद्यपि इसे विकास और कल्याण परियोजनाओं के लिए संघीय सरकार से जो धन मिलता है, वह धन कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। और अधिकांश धन सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों हेतु जाता है। इस प्रकार, सभी विधायक फंड के अपने हिस्से का दावा करने के लिए सत्तारूढ़ व्यवस्था का भाग बनना चाहते है। इस कारण कोई भी दल अपने आप को सरकार से भिन्न रख कर अपना आर्थिक नुकसान नहीं करवाना चाहता है। इस प्रकार विधानसभा विपक्ष विहीन स्थिति में आ जाती है। कई आलोचक इस स्थिति की आलोचना करते है कि लोकतंत्र में नियंत्रण एवम् संतुलन अति आवश्यक है। जिसका कि नागालैंड के विधायकों ने मजाक बनाया है और जनादेश का घोर अपमान किया। जो कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नही है। उनका मानना है कि एक प्रभावी विपक्ष के बिना, सत्तारूढ़ गठबंधन को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। जवाबदेही की इस कमी से और अधिक भ्रष्टाचार व सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलेगा और राजनीति पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। आलोचक तर्क देते है कि जहां नागा लोग श्नागा राजनीतिक मुद्देश का समाधान चाहते हैं, वहीं वे सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और सर्वसम्मति से निर्णय लेना भी चाहते हैं। इसे सुदृढ़ विपक्ष ही सुनिश्चित कर सकता है।

नागालैण्ड व उतर पूर्वी राज्यों में बढ़ती बीजेपी की शक्ति

भारतीय जनता पार्टी जो कि दक्षिणपंथी दृ हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में जानी जाती है, का ईसाई बहुल राज्य (90ः से अधिक ईसाई जनसंख्या) में निरंतर बढ़ते प्रभाव को देखना बड़ा रूचिकर है। इस बढ़ते प्रभाव के कुछ कारण इस प्रकार हो सकते है जैसे बीजेपी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, हाईवे

निर्माण आदि बुनियादी ढांचों के विकास के प्रतीक के रूप छवि बनाना। उनकी आंतरिक धार्मिक गतिविधियां में दखलंदाजी से बचना। इसके अलावा नागालैंड राज्य राजनीति में नागा शांति वार्ता एक मुख्य विषय है जिस पर भाजपा यह विश्वास जीतने में सफल हो रही है कि वो आदिवासी मामलों की परवाह करती है और वार्ताओं को गंभीरता से लेती है। यह बीजेपी की राजनीतिक व्यवहारिकता को दर्शाता है जो उनके नागालैंड राज्य में विस्तार का प्रमुख कारण है। इसके अलावा प्रधानमन्त्री मोदी एवम् रियो का प्रभावशाली नेतृत्व एवम् राजनीतिक कौशल भी निश्चय ही समान रूप से प्रभावी है।

निष्कर्षः

नागालैंड की राजनीति निसंदेह परिवर्तनशील है और इसके दो पहलू हैं। प्रथम, नागालैण्ड की राजनीति में बढ़ती महिलाओं की भूमिका तथा साथ ही उन्नत होती दलीय प्रणालीय चूंकि एक लम्बे समय तक नागालैंड में कुछ सीमित, कांग्रेस व कुछ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा वही अब क्षेत्रीय दलों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय दलों एवम् अन्य राज्यों के दलों का भी बढ़ता हुआ प्रभाव नजर आता है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण जैसे बुनियादी ढांचा के विकास की राजनीति का वातावरण तैयार करते है। और यह आदर्श लोकतंत्र की संकल्पना के समीप प्रदर्शित होता है। वही नागालैंड विधानसभा का विपक्षविहीन होने की नवीन संस्कृति का चलन दूसरा पहलू है। यह नागालैंड राज्य के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। निसंदेह कुछ भी कारण रहे हो परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदार विपक्ष की महत्ती आवश्यकता है, जो तंत्र में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहे।

संदर्भ–सूचीः

- https://www.guwahatiplus.com/northeast/neiphiu-rio-swears-in-as-the-chief-minister-of-nagaland
- https://www.thehindu.com/topic/nagaland-assembly-elections-2023/
- https://scroll.in/article/1045143/the-nagaland-election-in-25-charts-bjp-ally-pull-off-strong-performance-amid-political-churn
- https://indianexpress.com/article/north-east-india/nagaland/nagaland-oppositionless-govt-ndpp-bjp-8481434/
- https://swarajyamag.com/politics/explained-why-nagaland-is-left-with-no-opposition-parties-for-the-second-consecutive-time-2
- https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/assembly-elections/nagaland/nagaland-assembly-election-2023-results-live-bjp-congress-ndpp-latest-polls-updates-2-march-2023/liveblog/98347381.cms
- https://thewire.in/politics/nagaland-opposition-less-assembly-explainer

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281